International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 28-01-2024, Accepted: 20-02-2024, Published: 14-03-2024
Volume 10, Issue 2, 2024, Page No. 12-13

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को नए आयाम देती सांसद आदर्श ग्राम योजना

कुलदीप चतुर्वेदी[1], अखिलेश कुमार शर्मा[2], सोना शुक्ला[3]
[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत
[2] प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ओएसडी रूसा भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत
[3] प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
हजारों वर्षों से अनवरत प्रवाहमान सभ्यता अपने कुछ विशिष्ट लक्षणों व विशेषताओं के कारण ही अपना अस्तित्व बना पाती है, इन्हीं विशिष्ट लक्षणों को सांस्कृतिक घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। संस्कृतिक घटकों में मुख्यतः धर्म, आध्यात्म, खान–पान, वस्त्रविन्यास, वैचारिक अधिष्ठानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यही सांस्कृतिक घटक राष्ट्र के समस्त आयामों यथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक अधिष्ठान को निर्धारित व परिभाषित करते हैं। भारतीय संस्कृति में सर्वधर्म समभाव, विविद्यता में एकता, प्रकृति संरक्षण, स्वराज व स्वशासन, वसुधैव कुटुम्बकम् सहअस्तित्व आदि प्रमुख घटक हैं जो भारतीयता को वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करते है, राष्ट्र की प्रगति सिर्फ अवसंरचनात्मक विकास पर निर्भर नहीं करती अपितु सांस्कृतिक घटकों के सापेक्ष विकास पर निर्भर करती है, जिससे अनवरत प्रवाहमान सभ्यता सतत बनी रहे, जिसके लिए संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसी विचार को आत्मसात करते हुए ग्रामीण जनों में अपनी संस्कृति की जानकारी के साथ गौरव का भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, साथ ही संस्कृति के संरक्षण व संर्धन का प्रयास किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में इस बिन्दु को रेखांकित करने का प्रयास किया गया।

मूल शब्दः संस्कृति, सभ्यता, सहअस्तित्व, समरसता, आध्यात्म

भारतीय सभ्यता मानव जाति की किसी भी ऐतिहासिक सभ्यता के समान महान संस्कृति का रूप और अभिव्यक्ति रही है, भारतीय संस्कृति धर्म, दर्शन, में विज्ञान, साहित्य कला और कविता, समाज और राजनीतिक के संगठन, शिल्प और व्यापार व वाणिज्य में महानता को प्राप्त है।[1]
इसी महान सभ्यता व संस्कृति के हिस्सा होने के कारण हम गौरवांवित महसूस करते हैं, साथ ही इस सभ्यता व संस्कृति को अक्षुण्य रखते हुए इसके पल्लवन में अपना यथेष्ठ योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास करना हमारा भारतीय नागरिक के रूप में पुनीत कर्तव्य है, राष्ट्र व समाज का यह प्रयास है कि हम अपने नागरिकों विशेषता युवाओं में भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम विकसित करने के साथ उच्च नैतिक मूल्यों, आदर्शों, आकांक्षाओं के आधार पर धर्म दर्शन साहित्य कला नैतिकता विज्ञान के साथ–साथ सामाजिक और राजनीतिक लोकाचार सहित संस्कृति की गहरी समझ विकसित करें ताकि नागरिक राष्ट्रीय भावना से साम्यता रखते हुए संस्कृति को विकसित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें।[2]
गांधी जी का मानना था कि जो भी संस्कृति विशिष्ट बने रहने की कोशिश करती है वह जीवित नहीं रह सकती किसी संस्कृति के लंबे जीवन के लिए उसे कठोरता से दूर रहना होगा और संकीर्णता से बचाना होगा, इसके विपरीत लचीलापन और उदारता दो ऐसे गुण है जो जीवन में संश्लेषण और निरंतर लाते हैं।[3] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें साथ ही भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।[4]
उपर्युक्त भावना को दृष्टिगत रखते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना के मूल्य में स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना और इसे प्रोत्साहन प्रदान करना आदर्श ग्राम में ऐसी गतिविधियों को संचालित करना जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत का सुदृढ़ीकरण किया जा सके।[5]

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	472	78.66
नहीं	128	21.33
योग	600	100

उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 78.66ः लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे गांव में ग्राम दिवस मनाया जाता है जिसमें स्थानीय लोकगीत लोक नृत्य की प्रस्तुति की जाती है, सांस्कृतिक तत्वों के उन्नयन में जिन्होंने सराहनीय प्रयास किया उनको पुरस्कृत किया जाता है, जिससे सांस्कृतिक तत्वों में सकारात्मक वृद्धि उन्नयन के साथ–साथ अन्य लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है।

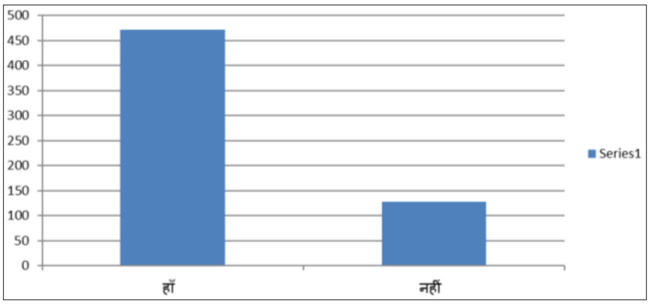

- **सामूहिक सांस्कृतिक आयोजन रामलीला, दशहरा, मिलन, होली मिलन ईद, प्रभात फेरी ग्राम स्तर पर होता है।**

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	579	96.5
नहीं	21	3.5
योग	600	100

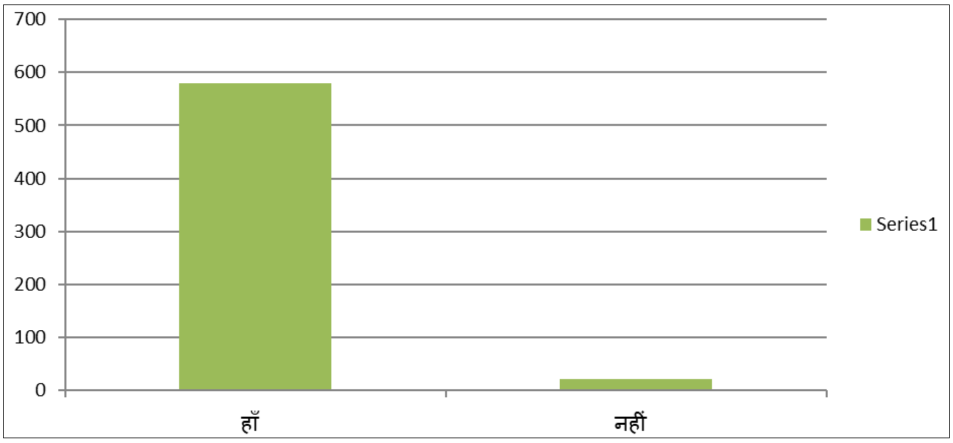

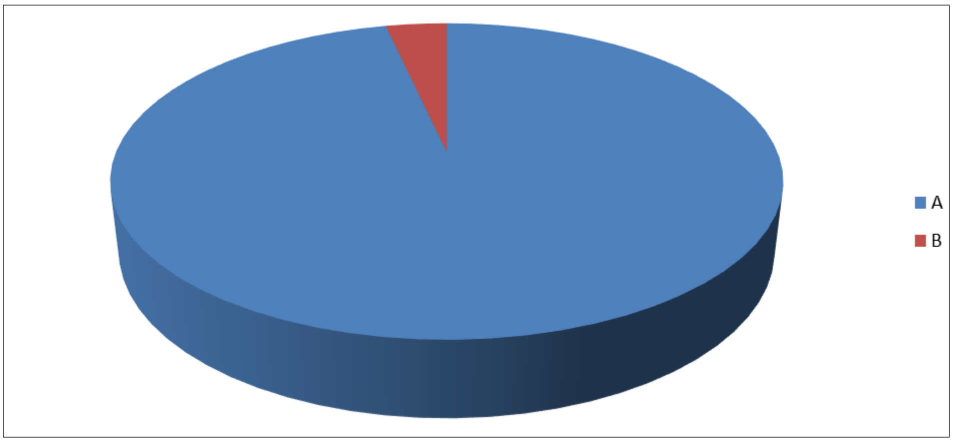

सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत धर्म, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, सामाजिक समरसता आदि भी सम्मिलित होते हैं, 579 उत्तरदाताओं अर्थात 96.5 प्रतिशत लोगों ने सहमति प्रदान की की गांव में रामलीला का मंचन, दशहरा मिलन, होली मिलन, ईद, इफ्तार भोज आदि का उल्लास पूर्वक आयोजक होता है, धर्म ग्रंथो में वर्णित महापुरुषों की कृतित्व व व्यक्तित्व के उच्च नैतिक आदर्श की स्थापना करते हैं, साथ ही सामाजिक मिलन समारोह समाज में सहिष्णुता, सहनशीलता, सभी धर्म के प्रति आदर जैसे मूल्यों को विकसित करते हैं जिससे वास्तव में भारत की सांस्कृतिक विलक्षणता 'विविधता में एकता' को बल प्रदान होता है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योजना का उद्देश्य मात्रात्मक अवसंरचनात्मक विकास करने के अलावा गांव में और उसकी जनता के मन में कतिपय नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना, स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना, जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायत को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके, साथ ही निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि ग्राम पंचायत को प्रशिक्षण दिया जा सके।[6]

संदर्भ सूची

1. https:ll Saanjhi-gov-in
2. https:ll aurasociety-org-in
3. डॉ. कुमार रवीन्द्र (2007), ''गाँधी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक अवतार'' स्कूप्स पत्रिका आधार स्तंभ दिनांक 17 सितंबर 2007
4. एम. लक्ष्मीकांत 2009य भारत की राजव्यवस्थाश् मैक्ग्राहिल प्रकाशन चौन्नई पृ. 9.1,9.2
5. दिशानिर्देश, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ 10
6. श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार (संदेश) सांसद आदर्श ग्राम योजना दिशा–निर्देश, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,